

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त/साविलेनि/2005

जयपुर, दिनांक : 25.11.2016

आदेश


विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

The existing entries at S.No. 106 and 213 in Appendix-8 of the said rules shall be substituted as under:-

- "106. Director General, H.C.M. Rajasthan State Institution of Public Administration, Rajasthan, Jaipur.
213. Addl. Director (Administration), H.C.M. Rajasthan State Institution of Public Administration Campus, Udaipur."

आज्ञा से,


(रामावतार शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागिय आयुक्त । 10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर । 12. समस्त कोषाधिकारी
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
15. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
16. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग कृपया इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें ।


(हरीश लड्डा)
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR - 15/2016)